

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022


कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 13 के अनुसार, यदि राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व राज्य सरकार के किसी पेंशनी स्थापन में नियुक्ति हुई थी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से उसके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात् उचित अनुज्ञा से स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता हो या नियुक्ति हुई हो, राज्य सरकार में उसके द्वारा की गई लगातार सेवा केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए अर्हक होगी। उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा अर्हक होगी यदि यह सेवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति के पश्चात् की गयी हो।

2. ऐसे मामलों में पेंशन और उपदान का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन और उपदान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए राज्य सरकारों में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service rendered in State Governments as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 13 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, if a State Government employee, who was initially appointed in a pensionable establishment of the State Government on or before 31st December, 2003, is permanently transferred or is appointed with proper permission after acceptance of his resignation from the service of State Government, to a service or post to which the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 are applicable, the continuous service rendered by him in the State Government shall qualify for pension and gratuity from the Central Government. The service rendered in the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

2. The liability for pension and gratuity in such cases shall be borne by the Central Government and no recovery of proportionate pension and gratuity shall be made from the State Government.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered in State Governments as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 14 के अनुसार, यदि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय के किसी कर्मचारी, जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व उस स्वायत्त निकाय में नियुक्ति हुई थी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा से तत्पश्चात् नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए उक्त स्वायत्त निकाय में की गई सेवा अर्हक होगी। तथापि, ऐसी सेवा की गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:


- (i) केंद्रीय सरकार में स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात् व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;
- (ii) सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय से अलग से पेंशन आहरित नहीं कर रहा है; और
- (iii) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता का निर्वहन किया गया है। पेंशन की एकमुश्त रकम, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण तालिका के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

2. राज्य सरकार के अधीन इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता के निर्वहन की शर्त, केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ की गई पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार उस स्वायत्त निकाय के लिए बाध्यकारी होगी।

जाती -

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाती है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।



(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service rendered in an autonomous body under the Central Government or a State Government as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 14 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, if an employee of an autonomous body under the Central Government or a State Government having a non-contributory pension scheme similar to CCS(Pension) Rules, 2021, who was initially appointed in that autonomous body, on or before 31st December, 2003, is subsequently appointed with proper permission to a service or post in the Central Government to which the CCS(Pension) Rules, 2021 are applicable, the service rendered under the said autonomous body shall qualify for pension and gratuity from the Central Government. Counting of such service shall, however, be subject to the following conditions:

- (i) The appointment of the Government servant in an officiating or temporary capacity in the Central Government is followed without interruption by substantive appointment;
 - (ii) The Government servant is not drawing a separate pension from the autonomous body for the service rendered in that body before acceptance of resignation; and
 - (iii) The pension liability is discharged by the Autonomous body by paying in lump sum the amount of pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered in the autonomous body. The lump sum amount of pension shall be determined with reference to the commutation table laid down in the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.
2. The condition for discharge of pension liability by an autonomous body under the State Government having a non-contributory pension scheme similar to these rules shall be binding on that autonomous body in accordance with the reciprocal arrangement entered into by the Central Government with the concerned State Government.

Contd.-

3. Service rendered in a public sector undertaking, including nationalized bank and financial institution, before appointment in the Central Government does not count as qualifying service for the purpose of CCS (Pension) Rules, 2021.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered in an autonomous body under the Central Government or a State Government as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry / Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।


2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 17 के अनुसार, ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार द्वारा आरंभ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात किसी पेंशनी स्थापन में, अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर, कर्तव्य में व्यवधान आए बिना नियुक्त किया गया हो; उस सेवा के लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान को, उस पर देय ब्याज सहित सरकार को वापस करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है, और उक्त संविदा पर की गई उसकी सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 लागू नहीं होती थी। अतः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 17 के तहत विकल्प उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध था जो आरंभ में संविदा पर लगे हुए थे और 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त किए गए थे।

3. यदि किसी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प का प्रयोग 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी, स्थानापन्न या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर नियुक्त होने के पश्चात केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 17 के तहत अनुज्ञेय था, तो उक्त संविदा पर की गई सेवा की अवधि को केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 18 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना में लिया जाता रहेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए संविदा पर की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के

जाती .

संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of service on contract as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a person, who was initially engaged by the Government on a contract for a specified period and was subsequently appointed to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity in a pensionable establishment, without interruption of duty, could exercise an option to refund to the Government, the Government contribution in the Contributory Provident Fund with interest thereon including any other compensation for that service and count the period of service, on the said contract, as qualifying service. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available to the persons who were initially engaged on contract and were appointed to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity on or before 31st December, 2003.

3. In case the above option exercised by any contract appointee was allowed under Rule 17 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 after his appointment to the same or another post in a temporary, officiating or substantive capacity on or before 31st December, 2003, the period of service on the said contract shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021,

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service on contract as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the

Contd.

personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के अनुसार ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर पहले सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियोजित होने पर पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन, (ii) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य, और (iii) सेवा उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, भी है वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात् दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अतः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 18 के तहत दिया गया विकल्प केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व पुनर्नियोजित किया गया था। यदि कोई सरकारी कर्मचारी, प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात्, 31 दिसंबर, 2003 के बाद पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या पिछली सेवा के लिए प्राप्त उपदान को रखेगा और पुनर्नियोजित होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।

4. यदि किसी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 18 के तहत अनुज्ञेय था तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 19 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती रहेगी।

जारी -

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन

(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed Government servants under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, on re-employment, a Government servant who, having earlier retired on compensation pension or invalid pension, could exercise an option to count the former service, as qualifying service for pension and gratuity by ceasing to draw his pension and refunding or agreeing to refund— (i) the pension already drawn, (ii) the value received for the commutation of a part of pension, and (iii) the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any.
3. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available only to the Government servants who were re-employed on or before 31st December, 2003. If a Government servant, after retirement on compensation pension or invalid pension, is/was re-employed after 31st December, 2003, he shall continue to draw the pension and/or retain gratuity received for the past service and, on re-employment, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.
4. In case the above option exercised by a re-employed pensioner, who was re-employed to a civil post on or before 31st December, 2003, was allowed under Rule 18 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the period of service rendered before re-employment shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021,

Contd.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of service rendered before re-employment as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 20 के अनुसार, पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी पेंशन और उपदान के लिए पूर्व सैन्य सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने के लिए अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और (i) पहले ली गई पेंशन; और (ii) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और (iii) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है; वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत होता है।


3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शुरू करने के पश्चात दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम लागू नहीं होते थे। अतः, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत विकल्प केवल उन सैन्य पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध था जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व सिविल सेवा पद पर पुनर्नियोजित किया गया था। यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा की थी और उसे 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया है/था, तो वह सैन्य पेंशन आहरित करना जारी रखेगा और/या सैन्य सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को रखेगा और, पुनर्नियोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को शासित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा।

4. यदि किसी पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित किया गया था, द्वारा प्रयोग किया गया उपरोक्त विकल्प, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के तहत अनुज्ञेय था, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 20 के अनुसार पेंशन और उपदान के लिए पुनर्नियोजन से पहले की

जारी...

गई सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती रहेगी। सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैन्य सेवा के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी सीमा के अधीन नहीं होगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of military service rendered before civil employment under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.


The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, a re-employed military pensioner could exercise an option to count the former military service, as qualifying service for pension and gratuity by ceasing to draw his pension and refunding or agreeing to refund— (i) the pension already drawn; and (ii) the value received for the commutation of a part of military pension; and (iii) the amount of retirement gratuity including service gratuity, if any.
3. After introduction of the National Pension System, the CCS (Pension) Rules, 1972 were not applicable to the Government servants appointed on or after 01.01.2004. Therefore, the option under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 was available only to the military pensioners who were re-employed on the civil side on or before 31st December, 2003. If a Government servant, who had rendered military service, is/was re-employed in a civil service or post after 31st December, 2003, he shall continue to draw the military pension and/or retain gratuity received on discharge from military service and, on re-employment in a civil service or post, he shall be covered by the rules governing the National Pension System.
4. In case the above option exercised by a re-employed military pensioner, who was re-employed on a civil service or post on or before 31st December, 2003, was allowed under Rule 19 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the period of service rendered before such re-employment shall continue to be counted as qualifying service for pension and gratuity in accordance with Rule 20 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021. The pension and gratuity for the service

CanAd.

rendered after re-employment in civil service or post shall not be subject to any limitation with reference to the pension and gratuity drawn by the Government servant in respect of the military service.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of past military service rendered before re-employment on a civil post as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 21 के अनुसार, सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

2. चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को,- (i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने या पुनःग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण; या (ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए मंजूर की गई है।

3. उपरोक्त पैरा 1 तथा 2 द्वारा कवर नहीं होने वाली असाधारण छुट्टी के मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित होती है कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात् की जा सकेगी, किंतु अधिवर्षिता पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व, के पश्चात् नहीं की जा सकेगी। यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में किए जाने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग

जारी.

और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM


Subject: Counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 21 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, all leave during service for which leave salary is payable and all extraordinary leave granted on medical certificate count as qualifying service.

2. In the case of extraordinary leave, other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a Government servant (i) due to his inability to join or re-join duty on account of civil commotion; or (ii) for prosecuting higher scientific and technical studies.

3. In the case of extraordinary leave not covered by para 1 and 2 above, a definite entry is required to be made in the service book of the Government servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than six months before the date of retirement of the Government servant on superannuation. If no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service.

4. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.-28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।


अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 22 के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ग्रुप सी पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य मामलों में, सरकार आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

2. जहां सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति विभिन्न स्टेशनों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा। जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि, कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छुट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा। ऐसे मामलों में असाधारण छुट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए विभिन्न स्टेशनों पर प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति के कारण

जाती-

प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि और व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कर्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of periods spent on training as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 22 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant who was required to undergo a departmental training before regular appointment to a Group C post and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or a nominal allowance during such training, the period of such training shall count as qualifying service. In other cases, the Government may, by order, decide whether the time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government shall be counted as qualifying service.

2. Where time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government is counted as qualifying service, interruption due to the training and regular appointment being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, is required to be counted as qualifying service. Where the period of interruption is in excess of joining time due to administrative reasons, such period of interruption in excess of joining time is required to be regularised by grant of leave of the kind due or, if no such leave is due, by grant of extraordinary leave by the Head of Department. The period of interruption regularised by grant of extraordinary leave in such cases is required to be counted as qualifying service.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of period spent on training and period of interruption due to the training and regular appointment being at different stations, as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/ subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत किए गए समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना या अन्यथा।


अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 23 के अनुसार, ऐसे सरकारी सेवक के मामले में, जिसे उसके आचरण की जांच के लिए पहले निलंबित कर दिया गया था और जो अवधि आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा केवल मामूली शास्ति लगायी गई है और निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहां, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी। अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

2. निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा निलंबन के तहत व्यतीत समय की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने या अन्यथा के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने

जारी...

हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।



(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Treatment of time passed by a Government servant under suspension as qualifying service or otherwise for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972. In accordance with Rule 23 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the case of a Government servant who was previously suspended pending inquiry into his conduct and who, on conclusion of such inquiry, is fully exonerated or only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified, time passed by him under suspension is required to be counted as qualifying service. In other cases, the period of suspension is not to be counted as qualifying service unless the authority competent to pass orders under the rule governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the Competent Authority may declare.

2. In all cases of suspension, the competent authority is required to pass an order specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry is required to be made in the service book of the Government servant in this regard.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of time passed under suspension as qualifying service or otherwise, for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं. 28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ किए जाने के संबंध में उपबंध।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 27 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा में व्यवधान से, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहत हो जाएगी, अर्थात् (क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी; (ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाए; (ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो, अथवा वहां जहां सरकारी कर्मचारी मर जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है; (घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानान्तरण, यदि ऐसे स्थानान्तरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो; (ङ) कार्यग्रहण अवधि जब वह एक पद से किसी दूसरे पद पर स्थानान्तरण पर हो। नियम 27 में, आगे और यह प्रावधान है कि नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा।

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 28 के अनुसार, सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट संकेत के न होने पर, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई सिविल सेवा के, जिसके अंतर्गत की गई ऐसी सिविल सेवा भी है जिसके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों से किया गया है, दो अवधियों के बीच का व्यवधान, स्वतः ही माफ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान-पूर्व सेवा अर्हक सेवा समझी जाएगी। व्यवधान का स्वतः माफ किये जाने वाला उपबंध, पदत्याग, पदच्युति या सेवा से हटाये जाने या किसी हड़ताल में भाग

जाती -

लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगा। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ करने पर विचार कर सकेगा और व्यवधान-पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में समझा जा सकेगा।

4. सेवा में व्यवधान को माफ न किए जाने का निर्णय केवल अपवादी और गंभीर परिस्थितियों में ही लिया जा सकेगा और सरकारी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, सेवा में व्यवधान की माफी नहीं देने का ऐसा कोई आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन सेवा में व्यवधान के प्रभाव और सेवा में व्यवधान को माफ किए जाने के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Provisions relating to effect of interruption in service and condonation of interruption in service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 27 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, an interruption in the service of a Government servant entails forfeiture of his past service, except in the case of (a) authorised leave of absence; (b) unauthorised absence in continuation of authorized leave of absence so long as the post of absentee is not filled substantively; (c) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the Government servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of superannuation while under suspension; (d) transfer to non-qualifying service in an establishment under the control of the Government if such transfer has been ordered by a competent authority in the public interest; (e) joining time while on transfer from one post to another. Rule 27 further provides that, the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave.

3. As per Rule 28 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, in the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of civil service rendered by a Government servant under Government including civil service rendered and paid out of Defence Services Estimates or Railway Estimates shall be treated as automatically condoned and the pre-interruption service treated as qualifying service but the period of interruption shall not count as qualifying service. The provision regarding automatic condonation of interruption shall, not apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service or for participation in a strike. The appointing authority may, however, consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service.

Concl.

4. The decision not to condone interruption in service may be taken only in exceptional and grave circumstances and the order against condonation of interruption in service shall not be passed without extending to the Government servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person.

5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding effect of interruption in service and condonation of interruption in service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय जापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 29 के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, (क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सकेगा; या (ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करे। जहां कोई सरकारी कर्मचारी खंड (ख) के लिए विकल्प करता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि की अर्हक सेवा के रूप में गणना के संबंध

जादी -

में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कर्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021-reg.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 29 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, a Government servant who is deputed on foreign service to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization may opt (a) to pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or (b) not to pay the pension contributions in respect of his foreign service and not count such service as qualifying for pension under those rules. Where a Government servant opts for clause (b), pension contributions, if any, already paid by him shall be refunded to him.

3. All Ministries/Departments are requested that the above provisions regarding counting of period of deputation to the United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other International organization as qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To
All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 02 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।


3. सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। इस नियम के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदनन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

4. इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा के आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके

जाती.

अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।


(एस. चक्रवर्ती)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

No. - 28/90/2022-P&PW(B)/8297
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi, Dated the 2nd October, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department.

The undersigned is directed to say that Department of Pension and Pensioners' Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

2. In accordance with Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, on each occasion after a Government servant has completed eighteen years of service and on his being left with five years of service before the date of superannuation, the Head of Office in consultation with Accounts Officer is required to verify the service rendered by such a Government servant, determine the qualifying service and communicate to him, in Format 4, the period of qualifying service so determined.
3. For the purposes of verification of service, the procedure provided in clause (a) of sub-rule (1) of rule 57 is required to be followed. The verification done under Rule 30 shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and orders governing the conditions under which the service qualifies for pension and gratuity.
4. The Rule further provides that a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry/Department by 31st January of each year, giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.
5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 regarding periodic verification of qualifying service and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the

Contd.

Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder, for strict implementation.


(S. Chakrabarti)

Under Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments/Organisations,
(As per standard list)